क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़
REGIONAL OFFICE & LABORATORY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 2499/OA-421/23/2024 दिनांक 07-02-24

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
फरीदकोट हाउस, कापरनिकस मार्ग
दिल्ली–110001

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम उ0 प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 एवं मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली से जिलाधिकारी, अलीगढ़ को जारी नोटिस दिनांक 25.11.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् है–

3. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Aligarh, (3) State PCB and (4) the Project Proponent- M/s Revati Balram Brick Kiln, who stand impleaded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 4 requiring them to file their reply/response within three months at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. Notice be served on Project Proponent- M/s Revati Balram Brick Kiln through the District Magistrate, Aligarh and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Aligarh by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.
5. List the matter for further consideration on 16.02.2024.

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1777 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट/प्रोपराइटर मै0 रेवती बलराम ईंट भट्ठा, ग्राम–टमौटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी नोटिस दिनांक 25.11.2023 के अनुपालन में दिनांक 09.01.2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 के सम्बन्ध में प्राप्त करा दिया गया है **(संलग्नक–1)**। वर्तमान में ईंट भट्ठे का अद्यतन निरीक्षण आख्या **संलग्नक–2** के रूप में पत्र के साथ संलग्न कर मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0 judicial-ngt@gov.in पर अपलोड की गयी है। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, बी–235, सेक्टर–19, नोएडा।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़

पत्रांकः 1777/OA No-421/2023 दिनांकः 07-12-23

प्रोपराइटर/पार्टनर

मै0 रेवती बलराम ईट भट्ठा,

ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास,

जनपद–अलीगढ

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–421/2023 भीकम्पर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित मा0 Consultant (Judicial) NGT के नोटिस दिनांक 25.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जोकि निम्नवत है–

3. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Aligarh, (3) State PCB and (4) the Project Proponent- M/s Revati Balram Brick Kiln, who stand impleaded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 4 requiring them to file their reply/response within three months at judicial_ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. Notice be served on Project Proponent- M/s Revati Balram Brick Kiln through the District Magistrate, Aligarh and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Aligarh by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard

5. List the matter for further consideration on 16.02.2024.

उक्त जारी आदेशों के अनुपालन में उक्त नोटिस एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 20.10.2023 एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. Consultant (Judicial), मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त ईट भट्ठे को वर्णित प्रपत्र प्राप्त कराकर सूचित करें।

जिलाधिकारी, अलीगढ़

9-1-24

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सख्या–421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.11.2023 के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।</u>

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.11.2023 के अनुक्रम में मै0 रेवती बलराम ईंट उद्योग, ग्राम–टमोटिया, तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ का जिलाधिकारी अलीगढ़ के पत्र संख्या–1777/ओ0ए0 नं0–421/2023 दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से नोटिस ईंट भट्ठा स्वामी को प्राप्त कराते हुए अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें, जिसके अनुक्रम में सन्दर्भित ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 09.01.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री श्रीनिवास (चौकीदार) को उपस्थित थे। जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों के अनुक्रम में उक्त पत्र/नोटिस को श्री श्रीनिवास, (चौकीदार) को प्राप्त करा दिया गया, जिसकी पावती कार्यालय के पत्र संख्या–1534 दिनांक 15.01.2024 के माध्यम से जिलाधिकारी, अलीगढ़ को प्रेषित की गयी है (छायाप्रति संलग्न)। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे पर मिट्टी खनन एवं पथाई सम्बन्धी कोई कार्य होता हुआ नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा नेचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे का संचालन नहीं किया जायेगा। कार्यालय अभिलेखानुसार संयुक्त निरीक्षण पूर्व में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा गठित समिति दिनांक 17.08.2023 के द्वारा ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 24.08.2023 एवं 28.08.2023 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या कार्यालय के पत्र संख्या–1157 दिनांक 01.09.2023 के माध्यम से रजिस्ट्रार, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्धारित ई–मेल judicial-ngt@gov.in पर अपलोड की गयी है (छायाप्रति संलग्न)। कार्यालय अभिलेखानुसार बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच00652 दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरूद्ध रू0 3,62,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। ईंट भट्ठा द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 3,62,500/– जमा नहीं किये गये हैं। कार्यालय के पत्र संख्या–1874 दिनांक 16.12.2023 के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ भू–राजस्व की भांति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली किये जाने का संस्तुति पत्र प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक

(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0),